प्रकाशन विभाग

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स

लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

आवेदक का विवरण

1. नाम .....

2. पिता/पति का नाम.....
3. व्यवसाय .....
4. राष्ट्रीयता .....
5. पत्र–व्यवहार का पता .....
   .....

.....

6. ई मेल. .....

7. क्या आपने इससे पहले भी **भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना** में भाग लिया है? यदि हां तो किस वर्ष?

8. क्या आपको इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार मिला था?

(क) यदि हां, तो कौन–सा पुरस्कार .....

(ख) पुरस्कृत पुस्तक/पांडुलिपि का नाम .....

पुस्तक/पांडुलिपि का विवरण

1. प्रकाशित पुस्तक/पांडुलिपि का नाम .....
2. निम्नलिखित विषय वर्गों में से किस वर्ग में आपकी पुस्तक/पांडुलिपि आती है : –

कृपया सही निशान लगाएं।

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित निम्नलिखित विषय

(1) प्रकाशन (प्रकाशन कला, तकनीक आदि) (2) पत्रकारिता

(3) टेलीविज़न (4) विज्ञापन

(5) फिल्म (6) रेडियो

(7) जनसंचार के अन्य माध्यम

(ख) समसामयिक विषयों/समाज में महिला समस्याओं से संबंधित विषयों पर केवल महिला लेखिकाओं द्वारा लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि।

(ग) राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय पर लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि।

(घ) बाल साहित्य पर लिखी गई पुस्तक/पांडुलिपि

_____

_____

3. पुस्तक किस वर्ष में प्रकाशित हुई .....
4. पुस्तक के प्रकाशक का पूरा नाम .....
.....
5. यदि अप्रकाशित है तो किस वर्ष लिखी गई .....
6. संस्करण (प्रथम, द्वितीय अथवा संशोधित, परिवर्धित इत्यादि)

7. क्या इससे पूर्व भी किसी अन्य प्रतियोगिता में यह पुस्तक या इसका कोई अन्य संस्करण प्रस्तुत किया गया :–

   (क) यदि हां तो किस वर्ष .....

   (ख) क्या पुरस्कार मिला था .....

   यदि हां तो कौन सा पुरस्कार .....

6. यदि पुस्तक प्रकाशित है, तो इसका कॉपीराइट किसके अधीन है .....
.....
7. पुस्तक का मूल्य .....
8. पुस्तक/पांडुलिपि के पृष्ठों की संख्या .....
   (पांडुलिपि फुलस्केप पेपर पर टाईप की हुई होनी चाहिए)

9. क्या पुस्तक/पांडुलिपि का किसी अन्य भाषा में अनुवाद किया गया है, यदि हां तो किस भाषा में .....
.....
10. क्या पुस्तक/पांडुलिपि किसी सरकारी अनुबंध के तहत लिखी गई है .....
11. क्या आवेदक ने पुस्तक/पांडुलिपि संयुक्त रुप से लिखी है? यदि हां तो सह–लेखक का नाम व पता आदि (सह लेखक भी इस प्रविष्टि प्रपत्र को अलग से भेजे)

.....

.....

मैं/हम प्रमाणित करता/करती हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा यह पुस्तक मूल रुप से हिंदी में लिखी गई है। मैं घोषणा करता/करती हूं कि उपर्युक्त सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है।

प्रकाशक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
तथा प्रकाशक की मुहर
दिनांक : –

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में
मोबाइल/दूरभाष/
दिनांक :–

आवश्यक निर्देश

1- इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत बाल साहित्य को छोड़ कर अन्य वर्गों में कविता, नाटक, उपन्यास, कहानियां, व्यक्ति विशेष पर लिखी पुस्तकें/पांडुलिपियां नहीं आती हैं।

2- यदि प्रकाशित पुस्तक भेज रहे हैं तो प्रविष्टि प्रपत्र पर प्रकाशक के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। यदि हस्ताक्षर नहीं हैं तो पुस्तक के प्रकाशक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र एक माह के अंदर अवश्य भेजें कि प्रकाशक को पुरस्कार योजना में आपके भाग लेने में कोई आपत्ति नहीं है।

3- यदि पुस्तक पांडुलिपि के लेखकों की संख्या एक से अधिक है तो प्रत्येक आवेदन पृथक–पृथक करें और ऐसे सभी आवेदन इस विभाग को एक साथ भेजें।

4- पांडुलिपि साफ–साफ टाइप करा कर भेजी जानी चाहिए। हस्तलिखित पांडुलिपि पर विचार नहीं किया जाएगा।

5- अहस्ताक्षरित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

6- कृपया निम्नलिखित संलग्न करें : –

1. एक पासपोर्ट साइज़ की नवीन फोटो (प्रपत्र पर चिपकाएं)
2. पुस्तक/पांडुलिपि की 6 प्रतियां।
3. 100 शब्दों का संक्षिप्त जीवनवृत्त।
4. एक 10x22 सें.मी. आकार का बिना टिकट लगा, पता लिखा लिफाफा।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लैक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार योजना के नियम

1. **पुरस्कार का नाम** : भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार।

2. **पुरस्कार की राशि देने वाला** : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली।

3. **उद्देश्य** : प्रकाशन, टेलीविज़न, रेडियो, विज्ञापन, पत्रकारिता, फिल्म आदि जनसंचार के विषय, राष्ट्रीय एकता, महिला विमर्श तथा बाल साहित्य से संबंधित विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए भारतीय लेखकों को प्रोत्साहित करना। केवल मौलिक लेखन पर ही, चाहे वह टंकित पांडुलिपि अथवा प्रकाशित सामग्री के रुप में हो, पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा।
4. **पुरस्कार की पात्रता** : सभी भारतीय लेखक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकते हैं। प्रकाशन विभाग के कर्मचारी एवं उनके निकट पारिवारिक सदस्य (जिसमें माता–पिता, पति/पत्नी, पुत्र/पुत्री शामिल हैं) इस योजना में भाग लेने के पात्र नहीं हैं।
5. इस पुरस्कार योजना के विचारार्थ प्रस्तुत सामग्री अथवा पांडुलिपि लेखक की अपनी मौलिक कृति होनी चाहिए और इससे किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट के अधिकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
6. **मौलिक कृति से आशय : –**

   (1) वह कृति जो प्रतियोगी लेखक द्वारा मूल रुप से हिंदी में ही लिखी गई हो।

   (2) वह कृति जो प्रतियोगी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा कराया गया अनुवाद नहीं होनी चाहिए।

   (3) वह कृति जो किसी सरकारी अनुबंध के अंतर्गत लिखी गई पुस्तक का अनुवाद न हो।

7- यह पुरस्कार कैलेंडर वर्ष **(जनवरी से दिसम्बर तक)** में लिखी गई पांडुलिपियों/प्रकाशित पुस्तकों पर दिया जाएगा और यदि किसी कैलेंडर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं होंगी, तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।
8- **मूल्यांकन समिति** : पुरस्कारों के निर्णय के लिए सर्वोत्तम पुस्तकों/पांडुलिपियों का चयन करने के लिए चार मूल्यांकन समितियां होंगी।
9- प्रत्येक मूल्यांकन समिति में पांच सदस्य होंगे, जो संबंधित विषय क्षेत्र के विशेषज्ञ होंगे। अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग, मूल्यांकन समिति में सदस्य सचिव के रुप में कार्य करेंगे। समिति के अध्यक्ष का चयन सर्व सम्मति से सदस्यों द्वारा किया जाएगा।
10- मूल्यांकन समिति के किसी सदस्य द्वारा त्याग पत्र देने अथवा किसी कारण हुई रिक्त स्थान की पूर्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।
11- मूल्यांकन समिति के सदस्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे।
12- मूल्यांकन समिति का यदि कोई सदस्य पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टि विचारार्थ भेजता/भेजती है तो उस स्थिति में वह मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा/रहेगी और उनके स्थान पर उपयुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।

13- मूल्यांकन समिति के सदस्य उल्लिखित नियमों के अनुसार, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को पुरस्कार के लिए उन लेखकों के नामों की सिफारिश करेंगे जिन्हें मूल्यांकन समिति पुरस्कार के योग्य समझती है।
14- इस समिति का कार्यकाल एक वर्ष होगा।
15- यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के लिए उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर उस पुरस्कार को रोक भी सकती है।
16- विचार–विमर्श के लिए इन मूल्यांकन समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए समिति के सदस्यों को दी जाने वाली राशि का निर्धारण अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा किया जाएगा।

पुरस्कार चयन के लिए कार्य विधि : –

17- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग हिंदी और अंग्रेजी के मुख्य समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के लिए लेखकों से पुस्तकें एवं पांडुलिपियां आमंत्रित करेंगे। इन पुरस्कारों के लिए अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग अपनी ओर से भी किसी पुस्तक अथवा पांडुलिपि को योजना में शामिल कर सकते हैं।
18- लेखकों को पुस्तकों/पांडुलिपियों की 6–6 प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। प्रस्तुत की गई पुस्तकें/पांडुलिपियां लेखकों को वापस नहीं की जाएंगी।
19- यदि कोई लेखक किसी वर्ष पुरस्कृत किया गया है तो वह अगले तीन वर्षों तक पुरस्कार योजना में भाग लेने का पात्र नहीं होगा।
20- बाल साहित्य को छोड़ कर किसी भी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 80 और पांडुलिपि की पृष्ठ संख्या 120 से कम नहीं होनी चाहिए। पांडुलिपि फुलस्केप पेपर पर टाइप की हुई होनी चाहिए।
21- यदि पुस्तक/पांडुलिपि को किसी पुरस्कार के लिए विचारार्थ स्वीकार किया जाता है अथवा किसी अन्य योजना के अंतर्गत इसे पुरस्कृत किया गया है तो लेखक को अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को लिखे अपने अग्रेषण पत्र में इसकी सूचना देनी होगी।
22- लेखक विचारार्थ एक से अधिक प्रविष्टियां प्रस्तुत कर सकता है, किंतु कोई भी लेखक इस योजना के अधीन एक वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार पाने का हकदार नहीं हो सकता।
23- मूल्यांकन समिति का प्रत्येक सदस्य, अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग को निर्धारित तिथि तक पुरस्कार संबंधी अपनी राय के बारे में बताएगा।
24- लेखकों को पुरस्कार तभी दिया जाएगा जबकि मूल्यांकन समिति के सदस्य बहुमत से उसके नाम/ उनके नामों की सिफारिश करेंगे।
25- यदि अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा कोई पुस्तक/पांडुलिपि पुरस्कार के स्तर के अनुरुप नहीं पाई जाती है तो वह पुरस्कार को रोक भी सकते हैं।
26- यदि पुरस्कृत पुस्तक/पांडुलिपि के लेखक एक से अधिक व्यक्ति हैं तो पुरस्कार की राशि लेखकों में एक समान वितरित की जाएगी।
27- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग द्वारा मूल्यांकन समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के पश्चात् ही पुरस्कारों की घोषणा की जाएगी।
28- पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।

पुरस्कृत पांडुलिपि का प्रकाशन

29- पुरस्कार विजेता अपनी पांडुलिपि को किसी भी प्रकाशक से प्रकाशित करवा सकते हैं, किंतु इसे प्रकाशित कराने से पूर्व प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है। पुरस्कृत पांडुलिपि के प्रकाशन के लिए प्रकाशन विभाग बाध्य नहीं होगा।
30- यदि पुरस्कृत पांडुलिपि प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है तो लेखक को उतनी ही रॉयल्टी दी जाएगी जितनी कि प्रकाशित पुस्तकों पर दी जाती है।

पुरस्कारों का वितरण

31- अपर महानिदेशक एवं प्रभारी, प्रकाशन विभाग पुरस्कार विजेताओं के नाम पुरस्कारों के वितरण से काफी समय पूर्व अधिसूचित करेंगे।

32- सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार होगा।

भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार
वर्ष – 2010 के पुरस्कार विजेता

पत्रकारिता एवं जनसंचार

पुरस्कार विजेता का नाम	पुस्तक/पांडुलिपि का नाम	पुरस्कार
श्री प्रांजल धर	समकालीन वैश्विक पत्रकारिता में अखबार	द्वितीय पुरस्कार
किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को प्रथम एवं तृतीय पुरस्कार योग्य नहीं पाया गया।		

राष्ट्रीय एकता

पुरस्कार विजेता का नाम	पुस्तक/पांडुलिपि का नाम	पुरस्कार
डॉ. शिव कुमार राय	मेरी जाति भारतीय	प्रथम पुरस्कार
किसी भी पुस्तक/पांडुलिपि को द्वितीय पुरस्कार योग्य नहीं पाया गया।		

महिला विमर्श

पुरस्कार विजेता का नाम	पुस्तक/पांडुलिपि का नाम	पुरस्कार
डॉ. सुमन राय	घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, 2006	प्रथम पुरस्कार
सुश्री प्रमीला के.पी.	स्त्री : यौनिकता बनाम आध्यात्मिकता	द्वितीय पुरस्कार

बाल साहित्य

पुरस्कार विजेता का नाम	पुस्तक/पांडुलिपि का नाम	पुरस्कार
श्री संजय जायसवाल 'संजय' और	डूबा हुआ किला	द्वितीय पुरस्कार
श्री प्रभात (संयुक्त रूप से)	साइकिल पर था कव्वा	द्वितीय पुरस्कार